Outstanding Amount of Crop Insurance

*80 Chaudhary ABHAY SINGH CHAUTALA (Ellenabad):

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

- a) the extent of amount of compensation under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna upon the loss of crop of the farmers lying pending/outstanding towards the Insurance Companies for the last three years (2021-22 to 2023- 24) togetherwith the year-wise and district-wise details thereof;
- b) the steps taken for making the payment of the outstanding amount as mention in 'a' above together with the action taken against the guilty company for not making the payment together with the details thereof;
- c) whether it is a fact that a heavy loss occurred to the cotton and paddy crops due to heavy rain in June and July of Kharif, 2023;
- d) if so, whether the evaluation of the loss of crops has been prepared by the department or not; and
- e) if so, the district-wise extent of compensation disbursed to the farmers togetherwith the details thereof?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFAREMINISTER, HARYANA

Sir, Statement is laid on the table of the house.

STATEMENT

- a) The desired amount is Rs. 164.88 Crore.
 - Districts wise & year-wise pending compensation list is attached at **Annexure-**"A" & "B".
- **b**) The above amount is pending due to various reasons
 - i. National Electronic Funds Transfer (NEFT) rejection
 - ii. Public Financial Management System (PFMS) unverified accounts
 - iii. Closed bank accounts
 - iv. Merger of the banks
 - v. Death of the claimant
 - vi. Aadhar not seeded by the farmers
 - vii. Objections raised by Insurance company

Following steps are being taken by the State Government for making the payment of outstanding claims:

- i) A list of non-disbursed claims has been shared with Deputy Directors of Agriculture and also uploaded on departmental website to apprise the farmers to get their accounts updated for disbursements.
- ii) Deputy Directors have circulated the list of non-disbursed claims for collection of correct documents i.e. bank accounts, Aadhar Card etc. from individual farmers at village level.
- iii) The corrected list of bank details has been sent to the concerned Insurance Companies to disburse the outstanding claims for NEFT cases.
- iv) Notice was also published in the newspaper to urge farmers to submit the correct bank details in the offices of Deputy Directors of Agriculture.
- v) For other pending claims, Department settles all objections raised by Insurance Companies as per operational guidelines of the scheme. The objected cases are settled by different committees constituted at different levels.
 - i. Firstly, the disputed cases are decided in District Level Monitoring Committee (DLMC). If Insurance Company object to the decision of DLMC then the dispute is decided in State Level Grievance Committee (SLGC).
 - ii. In Case Insurance Company doesn't comply with the decision of SLGC, then the matter is recommended to Technical Advisory Committee (TAC) of GoI for appropriate decision.
 - iii. If Insurance Company doesn't comply with the decision of TAC, then GoI can debar the company from empaneled Insurance

Companies and may also impose the penalty @12% per annum to guilty Insurance Company.

- c) Yes, Sir.
- **d)** Agriculture Department has prepared the evaluation of Cotton crop loss for the insured farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Evaluation of crop loss for paddy is under process.
- e) For Kharif 2023, an amount of Rs. 97.89 crore have been paid for losses of Paddy and other Kharif crops by the Revenue Department though E- Kshatipurti Portal and Rs. 16 crore (approx.) will be released shortly. The Financial Assistance of Rs. 60.42 crore (approx.) is to be release under Haryana Fasal Surksha Yojana. The claim amount of Rs. 258 crore (approx.) is to be release to the insured farmer under Pradhan Mantari Fasal Bima Yojana. District wise details are at 'Annexure-'B'.

DISTRICT WISE DETAIL OF TENTATIVE PENDING COMPENSATION

(Amount in Crore)

District	Due to NEFT/PFMS rejection		Outstanding Claims 2022-23	Total
	2021-22	2022-23		
Ambala	0.02	0.00	0.00	0.02
Bhiwani	2.49	0.05	52.00	54.54
Charkhi Dadri	0.15	0.00	0.00	0.15
Faridabad	0.28	0.00	0.00	0.28
Fatehabad	0.37	0.01	0.00	0.38
Gurugram	0.07	0.00	0.00	0.07
Hisar	0.80	0.00	68.00	68.8
Jhajjar	0.02	0.00	0.00	0.02
Jind	0.42	0.00	0.00	0.42
Kaithal	0.32	0.00	0.00	0.32
Karnal	0.00	0.00	0.00	0.00
Kurukshetra	0.20	0.01	0.00	0.21
Mahendergarh	0.03	0.01	0.00	0.04
Mewat	0.09	0.00	21.00	21.09
Palwal	0.00	0.01	0.00	0.01
Panchkula	0.01	0.00	2.00	2.01
Panipat	0.03	0.00	0.00	0.03
Rewari	1.97	0.03	7.90	9.9
Rohtak	0.10	0.00	0.00	0.1
Sirsa	2.60	0.06	0.00	2.66
Sonipat	0.32	0.00	0.00	0.32
Yamuna Nagar	0.01	0.00	3.5	3.51
Total	10.3	0.18	154.4	164.88

DISTRICT WISE DETAIL OF THE CLAIM TO BE PAID UNDER PMFBY FOR KHARIF 2023

(Amount in Crore)

Sr. No.	District	Amount
1	Bhiwani	147.59
2	Ch. Dadri	17.99
3	Faridabad	0.01
4	Fatehabad	32.96
5	Jhajjar	1.42
6	Kurukshetra	0.04
7	Nuh	0.66
8	Palwal	0.75
9	Panipat	0.03
10	Rewari	0.20
11	Rohtak	7.09
12	Sirsa	49.42
13	Y.Nagar	0.03
14	Kaithal	0.00
15	Panchkula	0.00
Total		258.19

• This is tentative information calculations are still ongoing.

फसल बीमा की बकाया राशि

*80 श्री अभय सिंह चैटाला (ऐलनाबाद) :

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) गत् तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) से किसानों की फसल के नुकसान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजे की कितनी राशि बीमा कंपनियों के पास लंबित/बकाया है तथा इसका वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है:
- (ख) उपरोक्त 'क' में उल्लेखित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा भुगतान न करने वाली दोषी कंपनी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह तथ्य है कि खरीफ, 2023 के जून तथा जुलाई में भारी वर्षा के कारण कपास तथा धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा फसलों के नुकसान का मुल्यांकन तैयार कर लिया गया है या नहीं; तथा
- (ड) यदि हां, तो किसानों को कितना मुआवजा जिलावार वितरित किया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है?

जय प्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

- (क) वाछित राशि 164.88 करोड़ रुपये है। जिलावार और वर्षवार लंबित मुआवजे की सूची अनुलंग्नक- 'क' और 'ख' पर संलगित है। (ख) उपरोक्त राशि विभिन्न कारणों से लंबित है:
- (i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) अस्वीकृति
- (ii) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) असत्यापित खाते
- (iii) बंद बैंक खाते
- (iv) बैंकों का विलय
- (v) दावेदार की मृत्यु
- (vi) किसानों द्वारा आधार सीडिंग नहीं किया गया है
- (vii) बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियां

राज्य सरकार द्वारा बकाया दावों के भुगतान हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

- (i) लंबित मुआवजे राशि की सूची कृषि उप निदेशकों के साथ सांझा की गई है और किसानों को दावा संवितरण हेतु अपने खातों को अद्यतन करने के लिए सूचि को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
- (ii) उप निदेशकों ने व्यक्तिगत किसानों से सही दस्तावेज यानी बैंक खाते, आधार कार्ड इत्यादि एकत्रित करने हेतु लंबित मुआवजे की सुचियाँ ग्राम स्तर पर वितरित की गई हैं।
- (iii) एनईएफटी मामलों के बकाया दावों का भुगतान करने के लिए बैंक विवरण की सही सूची संबंधित बीमा कंपनियों को भेज दी गई है।
- (iv) किसानों से कृषि उप निदेशकों के कार्यालयों में सही बैंक विवरण जमा करने का आग्रह करने के लिए समाचार पत्र में एक नोटिस भी प्रकाशित किया गया था।
- (v) अन्य लंबित दावों के लिए, विभाग योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा लगाई गई सभी आपत्तियों का निपटारा करता है। आपत्तिबद्ध मामलों का निपटारा विभिन्न स्तरों पर गठित विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता है।
- (i) सबसे पहले विवादित मामलों का फैसला जिला स्तरीय निगरानी सिमित (डीएलएमसी) में किया जाता है, यदि बीमा कंपनी डीएलएमसी के निर्णय पर आपत्ति जताती है तो विवाद का निर्णय राज्य स्तरीय शिकायत सिमित (एसएलजीसी) में किया जाता है।
- (ii) यदि बीमा कंपनी एसएलजीसी के निर्णय का अनुपालन नहीं करती है, तो मामले को उचित निर्णय के लिए

- भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) को भेजा जाता है।
- (iii) यदि बीमा कंपनी टीएसी के निर्णय का पालन नहीं करती है, तो भारत सरकार कंपनी को पैनल में शामिल बीमा कंपनियों से बाहर कर सकती है और दोषी बीमा कंपनी पर 12% प्रति वर्ष की दर से जुर्माना भी लगा सकती है।
- (ग) हां, श्रीमान जी.
- (घ) कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों का कपास की फसल के नुकसान का मूल्यांकन तैयार कर लिया है और धान के लिए फसल के नुकसान का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।
- (ड) खरीफ 2023 के लिए धान व अन्य खरीफ फसलों के नुकसान के लिए राज्यस्व विभाग द्वारा ई-क्षितिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से रूपये 97.89 करोड़ का भुगतान किया गया है और लगभग 16 करोड़ रूपये शीघ्र ही जारी किए जाएगे। हिरयाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत लगभग 60.42 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को लगभग 258 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में जारी किए जाने है। जिलावार सूची अनुलग्नक-ख पर है।

अनुलंग्नक- 'क' **लंबित मुआवजे का जिलावार अनुमानित विवरण** (राशि करोड़ में)

जिला एनईएफटी/पीएफएमएस अस्वीकृति के कारण		बकाया दावे २०२२-२३	कुल	
	2021-22	2022-23		
अंबाला	0.02	0.00	0.00	0.02
भिवानी	2.49	0.05	52.00	54.54
चरखी दादरी	0.15	0.00	0.00	0.15
फरीदाबाद	0.28	0.00	0.00	0.28
फतेहाबाद	0.37	0.01	0.00	0.38
गुरूग्राम	0.07	0.00	0.00	0.07
हिसार	0.80	0.00	68.00	68.8
झज्जर	0.02	0.00	0.00	0.02
जींद	0.42	0.00	0.00	0.42
कैथल	0.32	0.00	0.00	0.32
करनाल	0.00	0.00	0.00	0.00
कुरूक्षेत्र	0.20	0.01	0.00	0.21
महेन्द्रगढ़	0.03	0.01	0.00	0.04
नूह	0.09	0.00	21.00	21.09
पलवल	0.00	0.01	0.00	0.01
पंचकूला	0.01	0.00	2.00	2.01
पानीपत	0.03	0.00	0.00	0.03
रेवाड़ी	1.97	0.03	7.90	9.9
रोहतक	0.10	0.00	0.00	0.1
सिरसा	2.60	0.06	0.00	2.66
सोनीपत	0.32	0.00	0.00	0.32
यमुनानगर	0.01	0.00	3.5	3.51
कुल	10.3	0.18	154.4	164.88

खरीफ 2023 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भुगतान किए जाने वाले बीमा राशि का जिलावार विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र॰सं॰	जिला	राशि
y/o (10	IOICII	रादा
1	भिवानी	147.59
2	चरखी दादरी	17.99
3	फरीदाबाद	0.01
4	फतेहाबाद	32.96
5	झज्जर	1.42
6	कुरूक्षेत्र	0.04
7	नूह	0.66
8	पलवल	0.75
9	पानीपत	0.03
10	रेवाड़ी	0.20
11	रोहतक	7.09
12	सिरसा	49.42
13	यमुनानगर	0.03
14	कैथल	0.00
15	पंचकूला	0.00
कुल		258.19

• यह अस्थायी जानकारी है और गणना अभी प्रक्रियाधीन है।